30

- 1 -

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र0क्र0 I 2002 पुनरीक्षण

1- शिवदेवी विधवा पत्नी रामलखन ब्राह्मण
2- नरेन्द्र कुमार } पुत्रगण रामलखन
3- अरुण कुमार }
4- शिव कुमार } अवयस्क पुत्रगण रामलखन
5- राघवेन्द्र कुमार }
संरक्षक मां शिवदेवी पत्नी स्व0 रामलखन
निवासीगण ग्राम मनेपुरा तहसील अटेर
जिला भिण्ड ------ आवेदकगण

विरुद्ध

1- सुराजादेवी विधवा पत्नी दीनदयाल
निवासी गीता भवन वाली गली, सतगुरुदयाल
मिश्रा का मकान, भिण्ड
2- रामवती पुत्री देवीदयाल पत्नी श्रीकृष्ण
निवासी बटरा खुशहाल राम भदावर धर्मशाला
चांदनी चौक, पुरानी दिल्ली
3- रामादेवी पुत्री देवीदयाल पत्नी प्रेमनारायण
निवासी हबिलिया (नगला गौर) तहसील एवं
जिला इटावा (उ0प्र0)
4- सत्यवती पुत्री देवीदयाल पत्नी रामबाबू
5- रानीदेवी पुत्री देवीदयाल पत्नी रघुवीर
निवासीगण ग्राम चाचर तहसील अटेर जिला
भिण्ड
6- राममूर्ति पुत्री देवीदयाल पत्नी रामकुमार
निवासी सफेदपुरा तहसील एवं जिला भिण्ड
7- वर्णादेवी पुत्री देवीदयाल पत्नी कृष्णकुमार
निवासी बसौगा, तहसील एवं जिला इटावा

R- 1882.III/2002

अपर आयुक्त चम्बल संभाग व्दारा प्र0क्र0 231।2000-2001 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-6-2002 के विरूद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते हैं :-

(1) यह कि अधीनस्थ न्यायालयों के विवादित आदेश अवैध, मनमाने तथा क्षेत्राधिकारहीन होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं।

(2) यह कि अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख तथा व्यवहार न्यायालय के निर्णय के विपरीत जाकर आदेश पारित करने एवं तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अनावेदकगण के नामों की प्रविष्टि निरस्त न करने में गंभीर भूल की है।

(3) यह कि व्यवहार वाद की कार्यवाही में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अनावेदकगण के पूर्वाधिकारी देवीदयाल को मृत भूमिस्वामी शिवनारायण का उत्तराधिकारी होना मान्य नहीं किया क्योंकि वह अन्य परिवार में गोद चला गया था। प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को माननीय उच्च न्यायालय ने स्थिर रखा है। उक्त निर्णयों के विपरीत अनावेदकगण के नामों की प्रविष्टि कायम रखना अवैध है। व्यवहार न्यायालयों के निर्णय जिनकी पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय ने की है, राजस्व न्यायालयों, राजस्व अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर बन्धनकारी है।

(4) यह कि राजस्व न्यायालयों के नामांतरण सम्बन्धी निर्णय भू राजस्व संहिता की धारा 111 के अन्तर्गत हैं। नामांतरण स्वत्व के आधार पर होता है। जब अनावेदकगण का स्वत्व नकार दिया गया तब नामांतरण आदेश स्वत: ही समाप्त हो जाते हैं। राजस्व न्यायालयों के आदेशों को निरस्त कराने की धारणा अवैध होने से विवादित आदे स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1882–तीन/02 जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-12-2016	यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 231/2000–2001/अपील में पारित आदेश दिनांक 28–6–12 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका शिवदेवी द्वारा सहायक बंदोवस्त अधिकारी के न्यायालय में प्रथम अपील कमांक 26–ए/93 अपील दीवानी में पारित आदेश दिनांक 12–7–96 के पालन में अनावेदिका सरजादेवी का नाम काटे जाने बावत आवेदन पेश किया । विचारण न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आदेश दिनांक 3–1–2000 द्वारा आवेदिका का आवेदन निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रथम एवं द्वितीय अपीलें कमशः अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने निरस्त की हैं । अपर आयुक्त के आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश व्यवहार न्यायालय के निर्णय के विपरीत हैं । प्रकरण को व्यवहार न्यायालय के निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए था जिसके अनुसार	

R- 1882- IV/2002 (निग)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अनावेदक को कोई अधिकार नहीं रह जाता है किंतु इस प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा व्यवहार न्यायालयों के निर्णय के अनुसार प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया । 4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रकरण को तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाना उचित होगा कि सिविल कोर्ट के अंतिम निर्णय अनुसार प्रकरण में कार्यवाही की जाये । 5/ आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । चूंकि इस प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 के अधिवक्ता द्वारा व्यवहार न्यायालय के अंतिम निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया है, ऐसी स्थिति में यह प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे व्यवहार न्यायालय के निर्णय के पालन में सकारण निष्कर्ष निकालते हुए आदेश पारित करें । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है । पक्षकारों को सूचना दी जाये एवं अभिलेख वापिस किया जाये । सदस्य	